

अवगत सहमति

इस अध्ययन जिसका शीर्षक "मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की महिला लाभार्थियों पर एक अध्ययन", क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु से मेरी पीएचडी शोध प्रबंध की पूर्ति में आयोजित किया जाता है।

यह अध्ययन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में आयोजित किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य अनुसंधान ज्ञान को जोड़ने और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच के विस्तार के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की महिला लाभार्थियों का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में आगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सेवाओं तक पहुँचने में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की महिला लाभार्थियों को हो रही चुनौतियों, एनआरएचएम से प्राप्त लाभ और अंत में एनआरएचएम सेवाओं तक पहुँचने में सामाजिक जनसांख्यिकीय घटकों की प्रासंगिकता को जानना है।

इस अध्ययन में भागीदारी स्वैच्छिक है और आप किसी भी समय, किसी भी बिंदु पर सवालों के जवाब देने में परेशानी या असुविधा महसूस करते हैं तो इस अध्ययन से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको संदेहों को स्पष्ट करने या अध्ययन के दौरान अधिक जानकारी के लिए पूछने का अधिकार है। यह अध्ययन शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और पूरी तरह से गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा।

मैं आपको इस प्रयास में समर्थन करने के लिए अनुरोध करता हूँ। यदि आप इस अध्ययन को समझ गए हैं तो इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर साक्षात्कार अनुसूची का उत्तर दें।

प्रतिभागी का हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान

तारीख:

शोधकर्ता का हस्ताक्षर

नाम: मैथ्यू सी.पी.

पीएचडी स्कॉलर (सोशल वर्क)

क्राइस्ट विश्वविद्यालय, बेंगलुरु-29

मोबाइल: 09739253639

जिला बड़वानी	ब्लॉक सेंधवा	ग्राम पंचायत	ग्राम

1.1 सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेष

1	सहभागी का नाम			
2	सहभागी के पिता/पति का नाम			
3	आयु			
4	धर्म	(1) हिंदू	(2) मुसलमान	
		(3) ईसाई	4) अन्य (.....निर्दिष्ट करें)	
5	समुदाय/जाति	(1) अनुसूचित जाति	(2) अनुसूचित जनजाति	(3) अन्य पिछड़ा जाति
		(4) सामान्य	(5) अन्य (.....निर्दिष्ट करें)	
6	क्या आपके पास गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड है ?	(1) हाँ	(0) नहीं	
7	परिवार का प्रकार	(1) एकल	(2) संयुक्त	
8	वैवाहिक स्थिति	(1) विवाहित	(2) विधवा	
		(3) तलाकशुदा/अलग	(4) अविवाहित	
9	विवाह के समय आयु			

10	शैक्षणिक स्तर	(1) निरक्षर	(2) पढ़ और लिख सकता हैं	(3) कक्षा 1 से 5
		(4) कक्षा 6 से 10	(5) उच्चतर माध्यमिक	(6) डिग्री / डिप्लोमा और अधिक
11	अध्ययन के वर्ष निर्दिष्ट करें			
12	सहभागी का व्यवसाय	(1) बेरोजगार	(2) खेतिहर मजदूर	
		(3) दैनिक मजदूरी	(4) अन्य (निर्दिष्ट करें:)	
13	परिवार की आय का साधन	(1) कृषि	(2) खेतिहर मजदूरी	(3) दैनिक मजदूरी का काम
		(4) पशुधन (डेयरी /पोल्ट्री आदि)	(5) सभी उपरोक्त	(6) अन्य स्रोतों से आय (कृपया निर्दिष्ट करें.....)
14	आपके परिवार के पास कितनी जमीन है?			
15	परिवार की वार्षिक आय			
16	क्या आपके घर में नीचे दिए गए घरेलू सामान हैं?	(1) टी वी	(2) रेडियो	(3) मोबाइल फोन
		(4) बिजली की इस्त्री	(5) फ्रिज	(6) जनरेटर
			(7) पानी का पंप	(8) सिलाई मशीन

		(9) बिजली के पंखे	(10) रसोई गैस कनेक्शन	(11) 2 व्हीलर	(12) 4 व्हीलर
		(13) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)			
17	घर का प्रकार	1.पक्का (आरसीसी)		2.कच्चा (मिट्टी का घर)	
18	क्या आपके घर में बिजली कनेक्शन है ?			(1) हाँ	(0) नहीं
19	क्या आपके घर में बाथरूम/शौचालय/स्नानग्रह है?			(1) हाँ	(0) नहीं
20	क्या आपके पास स्वयं का कुआँ है?			(1) हाँ	(0) नहीं
21	क्या आपको सरकार(पंचायत) की ओर से स्वच्छ पानी मिलता है?			(1) हाँ	(0) नहीं
22	क्या आपको घरेलू कार्य के लिये समुदाय के कुंआँ से पानी मिलता है?			(1) हाँ	(0) नहीं
23	क्या आपके घर से 1 कि.मी.दूरी पर सब्जी और किराने के सामान की दुकान उपलब्ध है?			(1) हाँ	(0) नहीं
24	आपकी आशा कार्यकर्ता का नाम				
25	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ए.एन.एम का नाम				

1.2 परिवार के सदस्यों का विवरण :-

26.

क्र.	नाम	आयु	लिंग	सहभागी से नाता	शिक्षा	व्यवसाय
1						

2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सेवाओं से संबंधित महिला हितग्राही का ज्ञान:

क्र.सं.	वक्तव्य	(1) हाँ	(0) नहीं
27	मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में सुना है।		
28	एनआरएचएम की शुरुआत 2005 में हुई।		
29	जिला पंचायत ने यह कार्यक्रम शुरू किया।		
30	इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य में सुधार लाना है।		
31	एनआरएचएम ग्रामीण महिलाओं के लिये है।		
32	आशा कार्यकर्ता द्वारा एनआरएचएम के बारे में दिये जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम उपयोगी है।		
33	मैं ग्रामीण स्वास्थ्य प्लान के बारे में जानती हूँ।		
34	मैं मेरे गाँव के 'ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति' के बारे में जानता हूँ।		

35	मैं आशा कार्यकर्ता की भूमिका और कार्यो को जानती हूँ।		
36	आंगनवाड़ी में टीकाकरण के लिए हर महीने एक 'स्वास्थ्य दिन' होता है।		
37	आम बीमारियों के लिए सामान्य दवाएँ उप केंद्र में उपलब्ध हैं।		
38	मैं एन.आर.एच.एम के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानती हूँ।		
39	मैं विजयाराजे जननी कल्याण योजना के बारे में जानती हूँ।		
40	मैं जननी एक्सप्रेस योजना के बारे में जानती हूँ।		
41	मैं जननी सहयोगी योजना के बारे में जानती हूँ।		
42	मैं प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना के बारे में जानती हूँ।		
43	मैं बाल शक्ति योजना के बारे में जानती हूँ।		
44	मैं दीनदयाल मोबाइल अस्पताल स्कीम के बारे में जानती हूँ।		
45	मैं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के बारे में जानती हूँ।		
46	मैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानती हूँ।		

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सेवा की उपलब्धता और पहुंच:

क्र.सं.	वक्तव्य	(1) सहमत	(0) असहमत
47	उपकेन्द्र मेरे घर के पास है।		
48	पीएचसी मेरे घर से पहुंच योग्य है।		
49	आशा कार्यकर्ता मेरे गाँव से हैं।		
50	आशा कार्यकर्ता हमारे घरों का दौरा अक्सर करती है।		
51	एएनएम हमारे उपकेन्द्र में उपलब्ध है।		
52	एएनएम हमारे गाँव का दौरा अक्सर करती है।		
53	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है।		

54	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में (पीएचसी) में विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवा उपलब्ध है।		
55	हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से बुखार, मधुमेह और रक्तचाप जैसी सामान्य बीमारियों के लिए इलाज मिलता है।		
56	हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से कैंसर, मिर्गी और मानसिक बीमारी के लिए चिकित्सा देखभाल प्राप्त होती है।		
57	हमें उपकेन्द्र से आवश्यकता के अनुसार मुफ्त दवाएं मिलती हैं।		
58	हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से दवाइयां मुफ्त प्राप्त होती हैं।		
59	पीएचसी में लेब (प्रयोगशाला) सुविधा उपलब्ध है।		
60	उपकेन्द्र में टीकाकरण उपलब्ध है।		
61	पीएचसी में टीकाकरण उपलब्ध है।		
62	पीएचसी में टीकाकरण उपलब्ध है।		
63	टीकाकरण निःशुल्क है।		
64	पीएचसी में सर्जिकल सुविधा उपलब्ध है।		
65	पीएचसी में सर्जिकल सुविधा उपलब्ध है।		
66	हमारे गाँव में मोबाइल युनिट अक्सर दौरा करती है।		
67	संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिये हम तैयार हैं।		
68	हमारे यहां एम्ब्युलेंस सेवा उपलब्ध है।		
69	पीएचसी में प्रसव के दौरान महिलाओं को मदद दी जाती है।		
70	प्रसव सुविधा पीएचसी में 24 घण्टे उपलब्ध है।		
71	अस्पतालों में महिलाओं के प्रसव के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध है।		

72	आशा कार्यकर्ता संस्थागत प्रसव के लिए मदद करती है।		
73	हमें अपने घर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त होती है।		
74	यह स्वास्थ्य शिक्षा सहायक है।		
75	हमारे गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक परिवहन सुविधा है।		
76	गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनवाडी में पौष्टिक भोजन मिलता है।		

4.राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सेवा का उपयोग करने में महिलाओं के लिए चुनौतियां:

क्र.सं.	वक्तव्य	(1) सहमत	(0) असहमत
77	आशा कार्यकर्ता पहुंच की स्थिति में नहीं है।		
78	आशा कार्यकर्ता आपात स्थिति में उपलब्ध नहीं है।		
79	ए.एन.एम उप स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध है।		
80	स्वास्थ्य के मुद्दों पर कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं प्राप्त किया।		
81	इलाज के लिए अस्पताल जाने में पारिवारिक समर्थन मिलता है।		
82	हमारे समुदाय द्वारा अस्पताल में प्रसव हेतु अनुमति नहीं देते हैं।		
83	एम्ब्युलेंस सेवा हमारे गाँव तक नहीं आ पाती है।		
84	सड़क अच्छी नहीं इसलिए पीएचसी व सीएचसी तक पहुंचने में देरी होती है।		
85	शासकीय अस्पताल में अच्छी सुविधा प्रदान नहीं की जाती।		
86	पीएचसी व सीएचसी पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं।		
87	आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता प्रदान नहीं करती है।		
88	उपस्वास्थ्य केन्द्र, पीएचसी तथा सीएचसी पर दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।		
89	हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को रिश्त देते हैं।		

90	हमें प्रसव पश्चात् प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है।		
91	ग्राम पंचायत स्वास्थ्य सुधार में पहल करती है।		
92	गांव में सुरक्षित पानी का कोई स्रोत नहीं है।		
93	आंगनवाडी, महिलाओं व बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है।		
94	मुझे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लाभ प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं है।		
95	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लाभ केवल बीपीएल परिवार को मिलता है।		
96	पीएचसी में बुनियादी सुविधाएँ जैसे स्थायी इमारत, पीने का पानी व बिजली नहीं है		
97	पीएचसी में पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग से शौचालय सुविधा नहीं है।		
98	पीएचसी में शिकायत बक्से हैं।		
99	पीएचसी में रोगियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र नहीं है।		
100	पीएचसी में रोगियों के लिए पर्याप्त बिस्तर की व्यवस्था है।		
101	आशा कार्यकर्ता अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के साथ नहीं जाती है।		

5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत महिलाओं को प्राप्त लाभ :-

क्र.सं.	वक्तव्य	(1) हाँ	(0) नहीं
102	मैंने जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है।		
103	हमारे गाँव में एक आशा कार्यकर्ता जो जरूरत के समय सहायता प्रदान करती है।		
104	उप केन्द्र की सुविधाओं में एनआरएचएम के बाद सुधार हुआ है।		
105	मुझे मुफ्त दवा प्राप्त है।		
106	विगत 5 वर्षों के दौरान मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है।		

107	हमें एनआरएचएम के तहत निशुल्क शल्य चिकित्सा प्राप्त है।		
108	हमें मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्राप्त है।		
109	हम निशुल्क जांच सुविधा प्राप्त करते हैं।		
110	हमारे बच्चे आंगनवाडी से पौष्टिक भोजन प्राप्त करते हैं।		
111	आशा कार्यकर्ता के हस्तक्षेप से गाँव में गर्भवती महिलाएँ स्वस्थ हैं।		
112	हमें एनआरएचएम के तहत हमेशा (24x7) स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है।		
113	हमारे परिवार के पास दीनदयाल अंत्योदय उपचार स्वास्थ्य कार्ड है।		
114	हमें दीनदयाल चलित योजना के तहत लाभ दिया जाता है।		
115	मैं रोगी कल्याण समिति की सदस्य हूँ।		
116	हमारे गाँव में पंचायत की स्वास्थ्य समिति के माध्यम से एक स्वास्थ्य योजना है।		
117	मैंने आशा कार्यकर्ता से जागरूकता मिलने के बाद घर में एक शौचालय का निर्माण किया है।		
118	पीएचसी व सीएचसी में हमेशा दवाएँ उपलब्ध रहती हैं।		
119	बच्चों को उपकेन्द्र में मुक्त में टीकाकरण किया जाता है।		
120	आशा कार्यकर्ता हमें धूमपान और तंबाकू चबाने और शराब पीने के प्रभावों के बारे में शिक्षित करती हैं।		